


कार्यालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।
निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, मीरजापुर के परिसर में स्थित 07 दुकान पूड़ी, मिठाई, चाय, नमकीन, पान, 03 दुकान फोटो स्टेट, 01 फोटोग्राफर, 01 साईकिल स्टैण्ड तथा 01 फल की दुकानों की नीलामी वर्ष 2019-2020 के लिए दिनांक 27.03.2019 को सायं 4.00 बजे होगी। चाय, नमकीन, पूड़ी, मिठाई, फोटो स्टेट, एवं साईकिल स्टैण्ड लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को 10,000/-रु0 एवं फोटोग्राफर, पान की दुकान व फल की दुकान लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को 5,000/-रु0 की नगद धनराशि दिनांक 26.03.2019 को सायं 4.00 बजे तक नजारत अनुभाग में जमा कर बोली बोल सकते हैं। बोली नियमानुसार होगी, इसके बारे में जानकारी नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, मीरजापुर से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं। जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी अन्य जानकारी नजारत अनुभाग से प्राप्त कर सकते हैं।

केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि इस निविदा सूचना की प्रति जन सामान्य के सूचनार्थ जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर पालिका, न्यायालय, बार, कार्यालयों में एवं उचित सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर अनुपालन प्रति मय आख्या प्रस्तुत करें।

नोट- नीलामी की सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा बोली गयी बोली की पूरी धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि 3 दिन के अन्दर नजारत अनुभाग में जमा करना अनिवार्य होगा तथा उक्त 25 प्रतिशत धनराशि जमा न करने की दशा में उसकी जमा सिक्वोरिटी धनराशि जब्त हो जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई अन्य जानकारी नजारत अनुभाग से प्राप्त कर सकते हैं।


(देवकान्त शुक्ला)


सदस्य,

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी. द्वितीय,
मीरजापुर।


(राम लखन सिंह चन्द्रौल)

सदस्य,

तृतीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर


(संजय हरि शुक्ला) 02/03/19

अध्यक्ष,

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी एक्ट),
मीरजापुर।

प्रतिलिप -

1. सम्पादक दैनिक स्टैण्डर्ड न्यूज को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
2. सम्पादक दैनिक हिन्दुस्तान को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
3. श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. जिला सूचना अधिकारी, मीरजापुर को समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।